(181)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 397774   पटना, दिनांक:- 22/11/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0 (जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
किशनगंज ।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में जी0एस0 /जी0आई0 शीट के उपयोग के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 1799 दिनांक- 31.10.2018 एवं पत्रांक-1794 दिनांक- 30.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मॉगें गए मार्गदर्शन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि किशनगंज जिला के भूकंप/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में आपदा से नुकसान को दृष्टिपथ रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास के निर्माण में जी0एस0/जी0आई0 शीट के इस्तेमाल करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि PMAY-G की मार्गदर्शिका की कंडिका 5.1.1 (घ) के आलोक में उचित रख-रखाव किये जाने पर मौसमी परस्थितियों सहित प्राकृतिक आपदाओं और इस्तेमाल की वजह से होने वाली छोटी-मोटी टूट-फूट को झेलते हुए लाभुक द्वारा जी0एस0/जी0आई0 शीट से निर्मित आवास कम-से-कम 30 वर्ष के लिए टिकाऊ और सुरक्षित हो । संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी लाभुकों को इस आशय की जानकारी देकर आवास की पूर्णता सुनिश्चित करायेगें ।

आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य भूकंप/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी उपर्युक्त आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभुक द्वारा आवास के निर्माण कार्य में जी0एस0/जी0आई0 शीट का उपयोग किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

22.11

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 397774   पटना, दिनांक 22/11/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.11

सरकार के संयुक्त सचिव

IAY 2415